



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आषाढ़, 1945 (श०)

संख्या - 392 राँची, शुक्रवार,

7 जुलाई, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

30 मई, 2023

आदेश संख्या-5/आरोप-1-558/2014(पार्ट-1) का. 3096--श्री राम कुमार मंडल, सेवानिवृत्त झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-637/03), तत्कालीन अंचलाधिकारी, ओरमांझी, राँची के विरुद्ध अनुसूचित जनजाति की जमीन की खरीद-बिक्री की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46 एवं 48 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 08 राजस्व वादों में देने एवं निगरानी थाना कांड सं०-26/2008 के नामजद अभियुक्त श्रीमती मेनन एक्का को गैर वैधानिक लाभ पहुँचाने संबंधित आरोपों हेतु विभागीय आदेश सं०-6195 दिनांक 13.10.2010 द्वारा इनको निलम्बित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं०-947, दिनांक 02.02.2012 द्वारा संकल्प निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त किया गया।

2. संबंधित मामले में श्री मंडल द्वारा दायर W.P(S) No. 3818/2016 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2020 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय संकल्प सं०-3114, दिनांक 09.07.2021 द्वारा विभागीय संकल्प सं०-947, दिनांक 02.02.2012 से श्री मंडल के विरुद्ध अधिरोपित दण्डादेश एवं उक्त आदेश के विरुद्ध दाखिल अपील अभ्यावेदन की अस्वीकृति से संबंधित विभागीय संकल्प सं०-3361, दिनांक 26.04.2016 को निरस्त करते हुए श्री मंडल के विरुद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही के पश्चात् संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 63, दिनांक 31.12.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी पर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं प्रतिवेदित किया गया। तत्पश्चात् विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-7623, दिनांक 05.12.2022 द्वारा श्री मंडल को आरोप मुक्त किया गया ।

4. श्री मंडल के पत्र, दिनांक 06.12.2022 द्वारा उनके निलंबन अवधि दिनांक 13.10.2010 से 01.02.2012 तक का पूर्ण वेतन भुगतान एवं अन्य वित्तीय लाभ प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया ।

5. श्री मंडल से प्राप्त अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि जिन आरोपों के लिए श्री मंडल को निलंबित किया गया था, उन आरोपों से इन्हें मुक्त किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत श्री राम कुमार मंडल, सेवानिवृत्त झाप्र०से० (कोटि क्रमांक-637/03), तत्कालीन अंचलाधिकारी, ओरमांड़ी, रांची के निलंबन अवधि दिनांक 13.10.2010 से 01.02.2012 तक को कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
